कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सिरपुर भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)

ज्ञाप क्रमांक/प्र.अ./42111 /सा/13 रायपुर, दिनांक 25 /01/2014

प्रति,

समस्त कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग
.... संभाग ....

विषय : एकीकृत पंजीयन व्यवस्था लागू करने के संबंध में निर्देश।

संदर्भ : छ.ग. शासन, लो.नि.वि. मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर का आदेश क्रमांक एफ 21-8/टी/19/12/निविदा, दिनांक 25/01/2014 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 25.01.2014

-------- 00 --------

छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के आदेश क्रमांक 21-8/टी/19/12/निविदा, दिनांक 25/01/2014 21 द्वारा प्रदेश में एकीकृत पंजीयन व्यवस्था (Unified registration System) लागू की जा चुकी है। समसंख्यक पत्र दिनांक 25.01.2014 द्वारा एकीकृत पंजीयन की कार्यवाही के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए गए है। जारी किए गए निर्देश के बिन्दु क्रमांक 10 में समस्त संभागीय कार्यालयों को **सुविधा केन्द्र (Facility centre)** के रूप में कार्य करने हेतु अधिकृत किया गया है। जिसके अनुक्रम में समस्त संभागीय कार्यालयों के स्तर पर दस्तावेजों के संकलन अपलोड एवं प्रमुख अभियंता कार्यालय में प्रेषण के संबंध में की जाने वाली निम्नानुसार परीक्षण/कार्यवाही अत्यंत गंभीरता से की जानी है :-

(1) **ठेकेदारों के दस्तावेजों का पंजीयन की श्रेणी की आवश्यकता -**

एकीकृत पंजीयन व्यवस्था में ठेकेदारों को कार्यक्षमता के अनुसार 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया है यथा,- **"अ", "ब", "स", एवं "द"।**

(i) **"द" श्रेणी** के ठेकेदार को पंजीकृत होने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन के साथ लोक निर्माण विभाग के किसी भी संभागीय/उपसंभागीय

कार्यालय द्वारा जारी 5000/- की पंजीयन शुल्क की रसीद (Money Receipt, वापसी योग्य नहीं), आवेदक के पेन नम्बर, वाणिज्यिक कर विभाग के द्वारा जारी टिन नम्बर, बैंक पासबुक/बैंक स्टेटमेंट की छायाप्रति बैंक द्वारा सत्यापित हस्ताक्षर एवं फोटोग्राफ, निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र एवं पंजीयन के अनुमोदन उपरांत सुरक्षा निधि के रूप में पंजीकरण अधिकारी प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग के नाम पर 1.00 लाख का एफ.डी.आर.।

(ii) **"स" श्रेणी** के ठेकेदार को पंजीकृत होने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन के साथ लोक निर्माण विभाग के किसी भी संभागीय/उपसंभागीय कार्यालय द्वारा जारी 10000/- की पंजीयन शुल्क (वापसी योग्य नहीं)की रसीद (Money Receipt), पूर्व पंजीयन की प्रति, विगत 5 वर्षों में से किन्ही 3 वर्षों में 1 करोड़ का कार्यानुभव (सिविल/वि./याँ.) जो कि कम से कम कार्यपालन अभियंता स्तर के अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, आवेदक के पेन नम्बर, वाणिज्यिक कर विभाग के द्वारा जारी टिन नम्बर, बैंक पासबुक/बैंक स्टेटमेंट की छायाप्रति बैंक द्वारा सत्यापित हस्ताक्षर एवं फोटोग्राफ, निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र एवं पंजीयन के अनुमोदन उपरांत सुरक्षा निधि के रूप में पंजीकरण अधिकारी प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग के नाम पर 2.00 लाख का एफ.डी.आर.।

(iii) **"ब" श्रेणी** के ठेकेदार को पंजीकृत होने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन के साथ लोक निर्माण विभाग के किसी भी संभागीय/उपसंभागीय कार्यालय द्वारा जारी 20000/- की पंजीयन शुल्क (वापसी योग्य नहीं)की रसीद (Money Receipt), पूर्व पंजीयन की प्रति, विगत 5 वर्षों में से किन्ही 3 वर्षों में 4 करोड़ का कार्यानुभव (सिविल/वि./याँ.) जो कि कम से कम कार्यपालन अभियंता स्तर के अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, आवेदक के पेन नम्बर, वाणिज्यिक कर विभाग के द्वारा जारी टिन नम्बर, बैंक पासबुक/बैंक स्टेटमेंट की छायाप्रति बैंक द्वारा सत्यापित हस्ताक्षर एवं फोटोग्राफ, निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र एवं पंजीयन के अनुमोदन उपरांत सुरक्षा निधि के रूप में पंजीकरण अधिकारी प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग के नाम पर 5.00 लाख का एफ.डी.आर.।

(iv) **"अ" श्रेणी** के ठेकेदार को पंजीकृत होने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन के साथ लोक निर्माण विभाग के किसी भी संभागीय/उपसंभागीय

कार्यालय द्वारा जारी 50000/- की पंजीयन शुल्क (वापसी योग्य नहीं) की रसीद (Money Receipt), पूर्व पंजीयन की प्रति, विगत 5 वर्षों में से किन्ही 3 वर्षों में 10 करोड़ का कार्यानुभव (सिविल/वि./याँ.) जो कि कम से कम कार्यपालन अभियंता स्तर के अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, आवेदक के पेन नम्बर, वाणिज्यिक कर विभाग के द्वारा जारी टिन नम्बर, बैंक पासबुक/बैंक स्टेटमेंट की छायाप्रति बैंक द्वारा सत्यापित हस्ताक्षर एवं फोटोग्राफ, निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र एवं पंजीयन के अनुमोदन उपरांत सुरक्षा निधि के रूप में पंजीकरण अधिकारी प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग के नाम पर 10.00 लाख का एफ.डी.आर.।

(v) विद्युतीकरण श्रेणी में पंजीयन हेतु ठेकेदार को उपरोक्त के अलावा उपयुक्त श्रेणी का विद्युत निरीक्षक छत्तीसगढ़ शासन, (छत्तीसगढ़ अनुज्ञापन मण्डल विद्युत विनियम 1960) द्वारा जारी विद्युत ठेकेदारी लायसेंस जमा करना आवश्यक है।

उपरोक्त दस्तावेजों के अलावा यदि पंजीयन किसी फर्म या कंपनी के द्वारा कराया जा रहा है, तो -

A) **फर्म के लिए** - निम्न दस्तावेज भी आवश्यक है -

(i) आवेदित फर्म का रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी द्वारा जारी वैद्य पंजीयन की अभिप्रमाणित प्रति।
(ii) नवीनतम डीड आफ पार्टनरशिप की अभिप्रमाणित प्रति।
(iii) यदि मूल डीड आफ पार्टनरशिप में कोई परिवर्तन किया गया है, तो उसकी सूचना रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी को दिये जाने एवं रजिस्ट्रार द्वारा उसे स्वीकृत किये जाने की अभिप्रमाणित प्रति।
(iv) सभी भागीदारों के पेन कार्ड की अभिप्रमाणित प्रति।
(v) सभी भागीदारों के अभिप्रमाणित फोटोग्राफ।
(vi) रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने हेतु अधिकृत भागीदार/व्यक्ति का बैंक द्वारा सत्यापित हस्ताक्षर एवं फोटोग्राफ।
(vi) रजिस्ट्रेशन हेतु भागीदारों के अलावा अन्य अधिकृत व्यक्ति होने की स्थिति में पॉवर आफ अटार्नी।

B) **कंपनी के लिए** - निम्न दस्तावेज भी आवश्यक है -

(i) रजिस्ट्रार आफ कंपनी के द्वारा जारी कंपनी के पंजीयन की अभिप्रमाणित प्रति।
(ii) मेमोरेन्डम आफ आर्टिकल की अभिप्रमाणित प्रति।
(iii) सभी डायरेक्टरों के नियुक्ति के संबंध में फार्म 32 की अभिप्रमाणित प्रतियां।
(iv) सभी डायरेक्टरों के अभिप्रमाणित पेन कार्ड की प्रति।
(v) सभी डायरेक्टरों के अभिप्रमाणित फोटोग्राफ।
(vi) रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने हेतु अधिकृत डायरेक्टर/व्यक्ति का बैंक द्वारा सत्यापित हस्ताक्षर एवं फोटोग्राफ।
(vii) रजिस्ट्रेशन हेतु डायरेक्टरों के अलावा अन्य अधिकृत व्यक्ति होने की स्थिति में पॉवर आफ अटार्नी एवं बोर्ड आफ डायरेक्टर के रिजाल्यूशन की प्रति।

2 **ठेकेदारों के अनुभव के विवरण का विवरण -**

(i) ठेकेदार यदि व्यक्तिगत स्वरूप (Individual)/प्रोपराइटरी फर्म है तो उनके द्वारा प्रस्तुत पूरे अनुभव को मान्य किया जाना है।
(ii) यदि फर्म का कोई भागीदार पृथक से पंजीकृत होना चाहता है, तो उनका अनुभव उस फर्म में उनकी भागीदारी के प्रतिशत के अनुसार गणना कर मान्य किया जावेगा।
(iii) यदि किसी कंपनी का डायरेक्टर कंपनी से पृथक अन्य कोई पंजीयन हेतु आवेदन करता है, तो उसका अनुभव कंपनी में उनके शेयर प्रतिशत के अनुसार अनुभव की गणना कर पंजीयन हेतु मान्य किया जावेगा।

3 **ठेकेदारों के दस्तावेजों को ऑन लाईन अपलोड किया जाना -**

(i) ठेकेदारों के दस्तावेजों को ऑन लाईन अपलोड करने के लिए प्रत्येक सुविधा केन्द्र को एक यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्रदाय किया जायेगा। प्रत्येक कार्यपालन अभियंता इसे सर्वर रूम से प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।
(ii) ठेकेदार को सर्व प्रथम **प्रदेश के किसी भी सुविधा केन्द्र** में पंजीयन की श्रेणी के अनुरूप लोक निर्माण विभाग के किसी भी संभागीय/उपसंभागीय

कार्यालय में पंजीयन शुल्क जमा कर रसीद (Money Receipt) प्राप्त करना होगा।

(iii) ठेकेदार द्वारा पंजीयन शुल्क की रसीद (Money Receipt) सुविधा केन्द्र में प्रस्तुत करने पर आवेदन फार्म निशुल्क उपलब्ध कराया जावेगा। इसके लिए सुविधा केन्द्र के कार्यपालन अभियंता अपने कार्यालयों में पूर्व से ही फार्म की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

(iv) आवेदक के द्वारा उनके आवेदन में अंकित पंजीयन की श्रेणी के अनुसार दस्तावेजों की स्केन कॉपी सी.डी./पेन ड्राइव में सुविधा केन्द्र में लाना होगा।

(v) ऑन लाईन आवेदन के लिए सर्वप्रथम ठेकेदार को प्राथमिक पंजीयन कराना होगा। एकीकृत पंजीयन व्यवस्था के ऑन लाईन प्रोग्राम में इसकी व्यवस्था है कि ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत रसीद (Money Receipt) का क्रमांक एवं दिनांक सही पाये जाने पर जिस नाम से वे पंजीकृत होना चाहते है, उसका नाम एवं पता अंकित करने पर ठेकेदार को ऑन लाईन जनरेटेड यूजर आईडी तथा पासवर्ड उनके रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर तथा ई-मेल एड्रेस में प्राप्त हो जायेगा।

(vi) तत्पश्चात् क्रमशः व्यक्तिगत/फर्म/कंपनी (जैसी भी स्थिति हो) को बैंक विवरण, पेन नम्बर, टिन नम्बर, वैट रजिस्ट्रेशन, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, पार्टनर का विवरण, डायरेक्टरों का विवरण, चल रहे कार्यों, पूर्ण किये गये कार्यों, पूर्व में दण्ड सहित अधूरे छोड़े गये कार्यों की सूची, पूर्व में किसी विभाग के द्वारा दण्डित किये जाने का विवरण, माध्यस्थम अभिकरण में चल रहे प्रकरणों का विवरण, शासकीय देयताओं का विवरण इत्यादि जानकारी अपलोड करना होगा। सभी जानकारी प्रोग्राम में भरे जाने के पश्चात् अंत में आवेदन का ऑन लाईन सबमिशन किया जाना होगा।

(vii) ऑन लाईन प्रोग्राम में अनुभव का विवरण कम से कम उतना अंकित किया जाये जितना पंजीयन की श्रेणी हेतु आवश्यक है। शेष अनुभव दर्ज किया जाना ठेकेदार के विकल्प पर है।

(viii) अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में कम से कम कार्यपालन अभियंता के स्तर के अधिकारी से जारी (जिसमें दिनांक अवश्य अंकित हो) होना आवश्यक है।

(ix) उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत ऑन लाईन जमा दस्तावेजों के प्रिन्ट आउट लेकर ठेकेदार के हस्ताक्षर प्राप्त किये जाये। नोटरी द्वारा सत्यापित दस्तावेज एवं अपलोड किये अभिलेखों के कम्प्यूटर प्रिन्ट आउट को प्रमुख अभियंता कार्यालय को अविलंब प्रेषित किया जाये। ठेकेदार के दस्तावेज यदि विलंब से प्रेषित किये जाते है तो संबंधित सुविधा केन्द्र के कार्यपालन अभियंता व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

(x) दस्तावेजों को प्रेषित करते समय दस्तावेज, आवेदन में अंकित क्रम में होना आवश्यक हो।

(xi) ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज नोटराइज्ड होने आवश्यक है। दस्तावेज ऑन लाईन अपलोड करने से पूर्व सुविधा केन्द्र प्रभारी इसकी सूक्ष्मता से जांच करेंगे।

(xii) प्रमुख अभियंता कार्यालय में आवेदन की हार्ड कापी प्राप्त होने के उपरांत परीक्षण कर पंजीयन की अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(xiii) अनुमोदन की स्थिति में संबंधित आवेदक को ई-मेल तथा एस.एम.एस के माध्यम से आवश्यक राशि के एफ.डी.आर. जमा करने की कम्प्यूटर जनित सूचना प्राप्त होगी। तद्नुसार ठेकेदार को आवश्यक राशि का एफ.डी.आर. सुविधा केन्द्र/प्रमुख अभियंता कार्यालय में जमा करना होगा। सुविधा केन्द्र में एफ.डी.आर. जमा करने की स्थिति में सुविधा केन्द्र प्रभारी एफ.डी. आर. की स्केन कापी अपलोड कर मूल एफ.डी.आर. अविलंब प्रमुख अभियंता कार्यालय को प्रेषित करेंगे। मूल एफ.डी.आर. प्राप्त होने के उपरांत ही आवेदक को अंतिम रूप से पंजीकृत किया जावेगा। पंजीकृत होने की सूचना एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नम्बर के साथ उन्हें ई-मेल तथा एस.एम.एस के माध्यम से प्राप्त होगी। अपने यूनिक रजिस्ट्रेशन नम्बर के आधार पर वे ऑन लाईन प्रोग्राम से अपना पंजीयन प्रमाण पत्र का प्रिन्ट आउट ले सकेंगे। चूंकि सर्टिफिकेट ऑन लाईन जनरेटेड रहेगा, अतः इसमें हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

(xiv) पंजीयन हेतु दस्तावेज में कमी होने की स्थिति में इसकी सूचना संबंधित आवेदक को ई-मेल तथा एस.एम.एस के माध्यम से दी जायेगी। जिसका निराकरण कर उन्हें आवश्यक दस्तावेज/जानकारी संबंधित सुविधा केन्द्र में पुनः जमा करना होगा। सुविधा केन्द्र उस दस्तावेज को पुनः अपलोड करेंगे।

4 **सुविधा केन्द्र के प्रभारी अधिकारी का दायित्व** - एकीकृत पंजीयन व्यवस्था में सुविधा केन्द्र का कार्य अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सुविधा केन्द्रों के कार्यपालन अभियंता को अविलंब एक ई-पंजीयन सेल का गठन करने का निर्देश पूर्व से ही दिये जा चुके है, जिसमें एक पृथक कम्प्यूटर सेट, प्रिन्टर, स्केनर की व्यवस्था कर लेने के निर्देश है। कार्यालय के सूचना पटल पर एकीकृत पंजीयन व्यवस्था हेतु अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी का नाम प्रदर्शित किया जाये।

उपरोक्तानुसार निर्देश एवं शासन के द्वारा पत्र क्रमांक 21-8/टी/19/12/निविदा, दिनांक 25/01/2014 21 के द्वारा जारी निर्देश में कोई विरोधाभास प्रतीत होता है तो अविलंब इसकी सूचना प्रमुख अभियंता कार्यालय को दी जाये।

सभी सुविधा केन्द्र उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

सहपत्र : उपरोक्तानुसार।

प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
रायपुर (छत्तीसगढ़)

पृष्ठांकन क्रमांक/प्र.अ./42111 /सा/13 रायपुर, दिनांक 25 /01/2014

प्रतिलिपि :

1/ प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

2/ सर्व संबंधित विभाग ....
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3/ समस्त मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग .... परिक्षेत्र ....

4/ समस्त अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग .... मण्डल ....

सहपत्र : उपरोक्तानुसार।

प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
रायपुर (छत्तीसगढ़)